न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/74 दायरा दिनांक : 05.06.2024

उनवान

हनुमान सहाय पुत्र छोटूराम, आयु 62 साल, जाति अहीर, निवासी हीरापुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. मायादेवी पत्नि स्व० महेश कुमार, जाति छीपा, निवासी छीपा मंदिर के पास, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारा राज० – मृतक
   1/1– केतनजय आयु 24 वर्ष पुत्र श्री स्व० महेश कुमार व स्व० मायादेवी
   1/2– कीर्तिका नामा आयु 20 वर्ष पुत्री स्व० महेश कुमार व स्व० मायादेवी
   निवासीगण छीपा मंदिर के पास, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
2. रामबाबू पुत्र मूलचन्द, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नंबर 2, गुर्जर बस्ती सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 24.07.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 107/2012 निर्णय दिनांक 07.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नंबर 3538 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3539 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3540 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3541 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3542 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3543 रकबा 0.15 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 हेक्टेयर वाके ग्राम सीसवाली मे स्थित है जिसमे मात्र खसरा नंबर 3540 रकबा 0.34 हेक्टेयर विवादित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने निर्णय दिनांक 07.06.2018 से वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत तथ्यों से असंगत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पो० कम 1 मायादेवी की मृत्यु का तथ्य दिनांक 08.02.2018 को संज्ञान में आने के बावजूद बिना उसके कायम मुकामान को उक्त प्रकरण मे रिकार्ड पर लिए मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो कानूनन गलत है। निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। मात्र कोटा पूर्ति करने हेतु बिना पक्षकारान की उपस्थिति के अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प सीसवाली में दिनांक 07.06.2018 को उक्त पत्रावली का फैसला कर दिया है जबकि राजस्व केम्प लोक अदालत में मात्र राजीनामे के आधार पर होने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.06.2011 को अपनी आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा करवाया गया था जिसमें प्रतिवादीगण/रेस्पो० द्वारा बनाई गई दुकाने व कच्चा घर वादी/अपीलाण्ट की आराजी में बताया था परन्तु रेस्पो०/ प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ व मिली भगत कर दिनांक 08.12.2016, 22.08.2016 व 01.07.2016 को तथ्य छुपाते हुए वादी/अपीलान्ट की पैमाइश रिपोर्ट पेश न करवाकर गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश करवाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का बिना उचित सुनवायी किये निर्णय किया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण/ रेस्पो० द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया गया है जिसमें कहीं पर भी उन्होंने यह हवाला नहीं दिया कि उनके द्वारा किया गया निर्माण कौनसे खसरा नंबर पर किया जा रहा है, ना ही उक्त निर्माण जिस खसरा नंबर पर किया गया है उसके स्वामित्व बाबत व कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश किये गये हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से रेस्पो०/प्रतिवादीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से राजस्व केम्प में निर्णय पारित किया है जो कानूनन गलत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 01.07.2016 नायब तहसीलदार की रिपोर्ट तारीखी 22.08.2016 व तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट तारीखी 08.12.2016 जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुई है का सीमाज्ञान करते वक्त वादी/अपीलान्ट एंव प्रतिवादी/रेस्पो० को सूचित नहीं किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की आराजी खसरा नंबर 3581 में बताया गया है। आस पास के खसरा नम्बरान का कोई नक्शा रिपोर्ट के साथ पेश नहीं किया गया है, ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को वाद पत्र मे पक्षकार बनाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 07.06.2018 मनमाना एंव न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के वाद पत्र में ना तो तनकीयात कायम की गई है, ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य रिकार्ड पर ली गई है। मात्र राजस्व कर्मचारियों

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त वाद राजस्व केम्प सीसवाली मे फैसल किया गया है जिसकी कोई डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं बनाई गई है। अतः निर्णय को ही डिक्री मानकर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय न्यायालय उप–जिला कलक्टर मांगरोल दिनांक 07.06.2018 निरस्त कर वादी का वाद सव्यय डिक्री फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। कोरोनाकाल के कारण व वकील साहब के मोबाइल नम्बर गुम हो जाने के कारण वादी अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया। वादी स्वयं हृदय रोगी है जो अक्सर बीमार रहता है। कुछ दिन पूर्व अपीलांट का अपने मिलने वाले से जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी साक्ष्य नहीं ली है। दिनांक 08.02.2018 को रेस्पोडेंट माया देवी की मृत्यु हो चुकी थी यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के ध्यान में था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 08.02.2018 की आदेशिका में मृत्यु का तथ्य अंकित है। दिनांक 07.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने हमें बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। अतः प्रकरण स्वीकार कर रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नं. 3538 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 3539 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 3540 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 3541 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नं. 3542 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 3543 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 हेक्टर वाके ग्राम सीसवाली में स्थित है जिसमें मात्र खसरा नं. 3540 रकबा 0.34 हेक्टर विवादित है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 वादी की विवादित भूमि कस्बा सीसवाली से लगी हुयी होने के कारण बेश कीमती भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जबकि प्रतिवादी नं. 1 व 2 का विवादित आराजी से दूर–दूर तक कोई लेना देना नहीं है। परंतु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त आराजी पर अवैध निर्माण करने पर आमदा है। अतः सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाये कि प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा वादी की विवादित खाता आराजी पर किये गये निर्माण पर प्रतिवादीगण स्वयं हटाये भविष्य में वादी की खाता आराजी पर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्रांक 4959 दिनांक 08.12.2016 से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.06.2018 से वादी का वाद खारिज करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों, प्रदर्शों, सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित पक्की दुकान सार्वजनिक निर्माण विभाग के खसरा नं. 3581 में बना हुआ है एवं खसरा नं. 3581 कोटा–सीसवाली रोड खसरा नं. 1872 के लगवा है। उक्त निर्माण से वादी की आराजी खसरा नं. 3540 रकबा 0.34 हेक्टर में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। अतः वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 08.12.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी अपीलांट के खाते की विवादित आराजी खसरा नं. 3540 जिसे वादी अपीलांट ने विवादित आराजी बताते हुए प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है, इस विवादित खसरा नं. 3540 पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा किसी प्रकार के निर्माण या कब्जे की पुष्टि नहीं होती। प्रतिवादी रेस्पोडेंट का कच्चा मकान व पक्की दुकान सार्वजनिक निर्माण विभाग के खसरा नं. 3581 में बना होना प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है। वादी अपने खाते की विवादित आराजी खसरा नं. 3540 पर प्रतिवादीगण के कब्जे को साबित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवलोकन से अपीलांट के इस कथन की भी पुष्टि नहीं होती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प सीसवाली में वादी को बिना सुने निर्णय पारित किया है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा